न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या 05/2016

1. बालाजी गौशाला समिति जरिये अध्यक्ष विष्णु कुमार पुत्र श्री राम कुमार जाति बिश्नोई निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. अम्बादेवी पत्नी अमरलाल जाति मेघवाल निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शुभम कुमार } पुत्रान अमरलाल जाति मेघवाल निवासी कालियां तहसील व
3. गोविन्द कुमार } जिला श्रीगंगानगर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत कालियां

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — अपीलान्ट
2. श्री गुरमेलसिंह अधिवक्ता — रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3

दिनांक :– 2-5-17

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत कालियां तहसील श्रीगंगानगर का इन्तकाल नम्बर 740 दिनांक 05.11.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी वाके चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 के मुश्तर्का खाता की कुल 1.960 हैक्टर आराजी में से रेस्पोडेन्ट के पिता–पति के नाम से 0.426 हैक्टर आराजी खातेदारी थी जो कि किला नम्बर 14/.098, 15/.164, 16/.164 कुल 0.426 हैक्टर दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट के पिता--पति नें अपनें जीवनकाल में अपीलार्थी को गौशाला हेतु किला नम्बर 16/.164 हैक्टर आराजी को 60,000/– रूपये में बेचान कर दिया दिनांक 11.04.2005 को इकरारनामा किया जिसकी साई पेटे 55,000/– रूपये प्राप्त कर कब्जा मौका पर सुपुर्द कर दिया। आज भी मौके पर गाये हेतु गौशाला संचालित की जा रही है।

रेस्पोडेन्ट के पिता–पति नें अपनें जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की अब अमरलाल की दिनांक 03.09.2014 को मृत्यु हो जानें के उपरान्त विरास्तन इन्तकाल संख्या 740 दिनांक 05.11.2014 को एक तरफा तौर पर तस्दीक करवा लिया।

अपीलाधीन आदेश पारित करनें से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की कतई पालना नहीं की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल तसदीक से पूर्व मौके के कब्जा की कतई जांच नहीं की जबकि कब्जा आज दिनांक को भी अपीलार्थी का चला आ रहा है। कब्जा प्राप्ति हेतु रेसपोडेन्ट संख्या 1 ता 3 तहसीलदार गंगानगर के समक्ष भी जेरकार है इस प्रकार कब्जा के अभाव में किया गया इन्तकाल निरस्ती योग्य है।

अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया की पालना में पारित किया गया है। विवादित आराजी का हस्तान्तरण इकरारनामा के रोज दिनांक 11.04.2005 को किया जा चुका था। इन्तकाल एक फिसकल कार्यवाही होती है। जिससे पक्षकारान को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। तहसीलदार अपीलार्थी से राजस्व कर वसूल कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार..... 2

अपीलार्थी नें गौशाला हेतु आराजी खरीद की थी गौशाला का पंजीकरण भी राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अपीलाधीन आदेश पारित करनें से पूर्व अपीलार्थी कोई नोटिस अथवा सूचना जारी नहीं की गई है। अपीलार्थी को साक्ष्य एवम् सुनवाई का कतई अवसर नहीं दिया गया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अभाव में पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जानें योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी के सम्बंध में वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जो जेरकार है अपीलार्थी नें अपनें नये अधिवक्ता को जब दस्तावेज दिखलाये तो अपीलाकृत आदेश की अपील प्रस्तुत करनें की कानूनी सलाह दी। इस पर अपीलार्थी नें दिनांक 04.03.2016 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की और बिना किसी देरी के अपील धारा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या 740 दिनांक 05.11.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की और से श्री गुरमेलसिंह अधिवक्ता उपस्थित आये

उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने बहस अपीलान्ट के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपील के कथनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया गया कि चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 के मुश्तर्का खाता की कुल 1.960 हैक्टर आराजी में से रेस्पोडेन्ट के पिता–पति के नाम से 0.426 हैक्टर आराजी खातेदारी थी जो कि उनकी मृत्यु उपरान्त विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर ग्राम पंचायत द्वारा विरास्त इन्तकाल दर्ज किया गया है।

रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा कोई भूमि का बेचान नहीं किया गया है। ना ही कोई पंजीकृत बैयनामा है, ना ही कोई पंजीकृत इकरारनामा किया गया है। अतः अपील खारिज योग्य होनें के कारण सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

–:: आदेश ::–

हमने विद्धान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अवलोकन किये जानें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के पिता–पति के मृत्यु के उपरान्त विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया गया है, इकरारनामा के आधार पर अपील को सूननें का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। नामान्तरकरण मृतक के वारिसान के नाम से दर्ज होना न्यायोचित पाया जाता है। अपीलार्थी द्वारा कोई पंजीकृत दस्तावेज पेश नहीं करनें के कारण यह कहना न्यायोचित नहीं है, कि मृतक के वारिसान के नाम विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज होना गल्त है। अपील इकरारनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील इकरानामा के आधार पर पोषणीय नहीं होनें के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 08/05/17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर